न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/7746/2008/नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मकराना जिला नागौर।

प्रार्थी........

बनाम

1. नारायण सिंह
2. गोविन्द सिंह
3. राजेन्द्र सिंह
4. दलिप सिंह
5. महावीर सिंह
6. बदनवीर सिंह
7. डूंगर सिंह

समस्त पुत्रगण चतरसिंह जाति राजपूत निवासीगण जसवन्तपुरा तहसील मकराना जिला नागौर।

अप्रार्थीगण.......

एकलपीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री सविता चौहान, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी के।

निर्णय

दिनांकः 24.1.2022

यह रेफरेन्स अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना के द्वारा अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अपने निर्णय दिनांक 29–10–2007 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, मकराना ने धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मिलस बंदोबस्त संवत 2006 में ग्राम जसवन्तपुरा के आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 12 बीघा भूमि गै0मु0 अंगौर राजकीय खाते

में दर्ज रही है। तत्पश्चात उक्त उक्त आराजी जरिये नामांतरकरण संख्या 62 के द्वारा चतर सिंह पुत्र किशन सिंह को आवंटित कर दी गयी एवं उसके नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। चतरसिंह के फोत हो जाने के पश्चात उक्त आराजी जरिये नामांतरकरण संख्या 145 दिनांक 12.11.88 के द्वारा उसके वारिसान अर्थात अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गयी। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। गै0मु0 अंगोर/ नदी/ नाला/ तालाब/जल प्रवाह भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/ नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। विद्वान अति0 जिला कलक्टर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही से रेफरेन्स प्रार्थना स्वीकार किया और प्रश्नगत आराजी के किए गए आवंटन को निरस्त कर प्रश्नगत आराजी को पूर्व अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

4. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 अंगोर, नदी, नाली, झील, बॉध-तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि दर्ज थी। उक्त आराजी को अविधिक रुप से किस्म परिवर्तित कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। ये समस्त अंकन विधि विरुद्ध किये गये हैं। गै0मु0 अंगोर, नदी-नाले, पोखर आदि की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः विद्वान अति0जिला कलक्टर द्वारा अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है जिसे स्वीकार किया जाये।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि विवादित भूमि कभी भी अंगोर की भूमि नहीं रही बल्कि मौके पर काबिज काश्त भूमि रही है। मौके पर आस पास में कोई अंगोर नहीं है। यह भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग में नही रही अथवा अंगोर की किस्म की नहीं है। विद्वान

अभिभाषक ने तर्क दिया कि उक्त आराजी पर अप्रार्थी का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अप्रार्थी विवादित आराजी का खातेदारी अधिकार रखता है। अप्रार्थी को उक्त आधार पर ही नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है। प्रस्तुत रेफरेन्स मियाद बाहर होने से भी चलने योग्य नहीं है। बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज करने का निवेदन किया ।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट कि मिलस बंदोबस्त संवत 2006 में ग्राम जसवन्तपुरा के आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 12 बीघा भूमि गै0मु0 अंगौर राजकीय खाते में दर्ज रही है। तत्पश्चात उक्त उक्त आराजी जरिये नामांतरकरण संख्या 62 के द्वारा चतर सिंह पुत्र किशन सिंह को आवंटित कर दी गयी एवं उसके नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। चतरसिंह के फोत हो जाने के पश्चात उक्त आराजी जरिये नामांतरकरण संख्या 145 दिनांक 12.11.88 के द्वारा उसके वारिसान अर्थात अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गयी। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। उक्त आवंटन नियम विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 अंगोर की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन अंगोर, नदी-नाला'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः-

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः-

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 अंगोर की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। अतः इस प्रकार की भूमियां न तो तहत किन्हीं व्यक्तियों को निजी आवंटन/नियमन की जा सकती है और इस श्रेणी की भूमियों में निजी खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः-

All land shown as drainage channels like nalla rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.

माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णयानुसार भी इस प्रकरण में राजस्व अभिलेख की पूर्व स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में विद्वान अपर कलक्टर द्वारा मण्डल को सबंधित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल व त्रुटि नहीं की है। अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. उपरोक्त समस्त विधिक आधारों व संपुर्ण विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी एवं स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 62 व 145 निरस्त किये जाते है तथा अप्रार्थीगण के खाते में अंकित विवादग्रस्त आराजी को पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार बिला नाम सरकार गैर मुमकिन अंगोर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

8. निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य